

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय राजस्व न्यायालय भोपाल म०प्र० 363

11/21
2019

नगरनी - 6073/2018/सीहोर/भू.र.

प्र.क.....

249

1. माया बाई पत्नी स्व. श्री रामगोपाल
आयु-45 वर्ष
2. निक्की आत्मज स्व. श्री रामगोपाल
आयु-अवयस्क आयु-10 वर्ष
संरक्षक एवं नैसर्गिक पालक
मायाबाई दौनों निवासीगण- बग्गीखाना,
छावनी सीहोर म०प्र०
3. भूरकुंवर बाई पत्नी श्री जगदीश
आयु-लगभग 50 वर्ष
4. सीमा बाई पत्नी श्री रूप सिंह
आयु-लगभग 45 वर्ष
दोनो निवासी- धोबीखेडी, तहसील श्यामपुर,
जिला सीहोर म०प्र०

श्री दि० ५/२/१९
सिमाबाई
अभिजात ०२/१/१९
३/३/१३ ०५/५/२०१६
६/५/१९
२/५/१९

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. मीना बाई पुत्री हरिसिंह
आयु-लगभग 40 वर्ष
निवासी-ग्राम सेवनिया ओमकारा,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म०प्र०
2. रउफ खां आत्मज श्री रशीद खां
आयु-50 वर्ष
3. खेरून बी पत्नी शरीफ खां
आयु-48 वर्ष निवासी-धोबीखेडी,
तहसल श्यामपुर जिला सीहोर म०प्र०--

उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन है-

निरंतर...2




भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/6073/18/सीएल/भूर

माथा/मीन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 20/12/18 | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>दिलीपराज सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>कुंवर, सीएल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>27/A/ECMS/17-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>3/3/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीएल</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>3/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीएल</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | <p> सदस्य</p> |